Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 207–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022 (AGRAHAYANA 7, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 नवम्बर, 2022

संख्या 1/51/2021–1 टी०सी०पी०.– पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 23) की धारा 42 की उप–धारा (5) और धारा 44 की उप–धारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल निर्देश देते हैं कि दिनांक 08/03/2021 को सरकार द्वारा अधिसूचित पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमाओं के भीतर तथा नगर निगम पंचकुला क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति के अंतरण पर शुल्क, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त, पंचकुला महानगर विकास अधिनियम, 2021 की धारा 42 की उप–धारा (5) और धारा 44 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखित पर विनिर्दिश्ट राशि का 1% की दर से होगा।

शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण के समय पर संग्रहित किया जाएगा तथा पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण को इसका भुगतान किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी अचल संपत्ति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थित हैं।

अरूण गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 28th November, 2022

No. 1/51/2021-1TCP.— In Exercise of power available under Section 44 Sub-section (1) of the PMDA Act, 2021 and as per Section 42(5) of PMDA Act, 2021, the Governor of Haryana directs that the duty on the transfer of immovable properties situated within the limits of the Panchkula Metropolitan area notified by the Government on dated 08 Mar, 2022 & within the limits of the Municipal Corporation, Panchkula, shall, in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899, be at the rate of 1 per centum of the amounts specified on every instrument of the description specified in Section 44 Sub-section (1) of PMDA Act, 2021 and as per Section 42(5) of PMDA Act, 2021.

The duty shall be collected, at the time of Registration of documents by the Registrar or Sub-registrar under the Indian Stamp Act, 1899 and paid to the Panchkula Metropolitan Development Authority.

ARUN GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

10002—C.S.—H.G.P. Pkl.